

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ले.नि./व्यय पत्रक/2017-18/496
प्रति,

रायपुर, दिनांक 6/5/2017

1. संचालक अनुसंधान सेवाएं/निदेशक विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर ।
2. निदेशक शिक्षण/प्रक्षेत्र एवं बीज, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय रायपुर/छात्र कल्याण रायपुर/ कृषि अभियांत्रिकी संकाय रायपुर/कृषि अभियांत्रिकी संकाय एवं टेक्नालाजी मंगेली/
4. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/राजनांद-गांव/रायगढ/जांजगिर चोंपा/भाटापारा-बलौदाबाजार/कोरिया/कांकेर/कवर्धा (कबीरधाम) बेमेतरा/उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर/उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव ।
5. सहायक संचालक कृषि सह-अनुसंधान प्रक्षेत्र लभाण्डी रायपुर ।
6. उद्यानिकी प्रक्षेत्र रायपुर / कार्यालय प्रभारी डी.के. फार्म भाटापारा ।
7. अधीक्षक भौतिकी संयंत्र इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर ।
8. प्रभारी नेहरू पुस्तकालय, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर ।
9. प्रभारी अतिथि गृह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
10. प्रमुख वैज्ञानिक, आलू अनुसंधान केन्द्र मैनपाट सरगुजा अंबिकापुर ।
11. उप लेखानियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
12. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शस्य विज्ञान/मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग/कृषि विस्तार विभाग/कृषि अर्थशास्त्र विभाग/पादक आण्विक जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग/कीट विज्ञान विभाग/वानिकी विभाग/अनुवांशिकी एवं पादक प्रजनन विभाग/पौध रोग विभाग/कृषि सांख्यिकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग/कृषि मौसम विज्ञान विभाग/मृदा शुष्म विज्ञान विज्ञान विभाग/पादक कार्मिकी कृषि जैव रसायन औषधीय एवं सुंगणित पौध विभाग/कृषि व्यवसाय एवं ग्रामिन प्रबंधन विभाग/फल विज्ञान विभाग/सब्जि विज्ञान विभाग/फ्लोरिकल्चर एवं लैण्डस्केपिंग विभाग/सॉइल एण्ड वाटर इंजीनियरिंग विभाग/एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एण्ड फूड इंजीनियरिंग विभाग ।
13. वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/भाटापारा/धमतरी/महासमुन्द/जांजगिरचोंपा/दंतेवाडा/कोरबा/जशपुर/कांकेर/राजनांदगांव/कवर्धा/कोरिया/नारायणपुर/रायगढ/गरियाबंद/बलरामपुर/बिजापुर/बेमेतरा/मुंगेली/दुर्ग ।
14. सर्वर प्रभारी, इं.गां.कृ.वि.वि. रायपुर । कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें ।


विषय:- विश्वविद्यालय में MIS Finance Module पूर्णतः लागू करने के संबंध में ।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में MIS Finance Module विगत वित्तीय वर्षो से लागू किया गया है, परन्तु विश्वविद्यालय के कुछ इकाईयों द्वारा देयक प्रायः MIS में न बनाकर मैन्युअल पद्धति से तैयार कर भुगतान किया जा रहा जो विश्वविद्यालय नियमानुकूल नहीं है ।

कृपया समस्त देयको MIS पद्धति से किया जाना सुनिश्चित करें, जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय को प्रतिमाह देवें, आफ लाइन अथवा मैन्युअल पद्धति से देयक तैयार कर भुगतान किये जाने वाले देयक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित होंगे । ऐसे समस्त भुगतान अनियमित माने जावेंगे एवं इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आहरण एवं संचितरण अधिकारी/नियंत्रककर्ता अधिकारी की होगी ।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


लेखानियंत्रक 5/5/17
